बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक – ह0क0–(13)योजना(68'' लूम)–16/2018/ .... पटना, दिनांक–.............................

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के पुराने लूम को 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित)/इससे अधिक चौड़ाई के फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) में परिवर्तित करने के निमित्त रू0– 44.82 लाख (चौवालीस लाख बेरासी हजार) की स्वीकृति के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–07.08.2018 को ''राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस'' 2018 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना के द्वारा यह घोषणा की गई है कि

''अन्य सभी पुराने हैण्डलूम को 68'' करघा में परिवर्तित करने की कार्य योजना बनाई जाएगी और कार्यान्वयन किया जाएगा।''

उक्त के अनुपालन में औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कैमूर मधुबनी, नालन्दा, नवादा, पटना, सीवान, बांका एवं रोहतास के हस्तकरघा/कम्बल बुनकरों को 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित)/इससे अधिक चौड़ाई के फ्रेम लूम टेक अप मोशन सहित में परिवर्तित करने संबंधी योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल राशि 44.82 लाख (चौवालीस लाख बेरासी हजार) रूपये मात्र की योजना की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. हस्तरकघा/कम्बल बुनकरों को 68'' फ्रेम लूम/इससे अधिक चौड़ाई के लूम उपलब्ध होने से वस्त्र/कम्बल उत्पादन एवं गुणवता में वृद्धि होगी जिससे बुनकरों की आय बढेगी।

3. इस योजना का कियान्वयन संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निम्नवत किया जाएगा–

- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इच्छुक बुनकरों से आवेदन प्राप्त कर पात्र बुनकरों का चयन करेंगे। आवेदन के साथ बुनकर पहचान पत्र/ यू0 आई0 डी0 संख्या, आवश्यक होगा। जिनके पास पुराना लूम हो उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना द्वारा क्रियान्वित 68 ईंच फ्रेम लूम की योजनान्तर्गत वैसे लाभूक जिन्होंने लूम प्राप्त किया है अथवा हस्तकरघा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा जारी की गई 500 आवेदकों की सूची का सत्यापन कर राज्य संघ को भेजा गया है, उनमें जो बुनकर शामिल नहीं है वे ही इस योजना के पात्र होगें।
- 68 इंच फ्रेम लूम (टेक अप मोशन सहित) की अनुदानित राशि 27000/– रूपये को दो किस्तों यथा प्रथम किस्त के रूप में 17,000/– रूपये एवं लूम अधिष्ठापन के बाद द्वितीय किस्त कें रूप में 10,000/– लाभुक बुनकरों को सीधे RTGS के माध्यम से बुनकरों के खाते में राशि महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। जो लाभुक बुनकर प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के पश्चात् लूम का अधिष्ठापन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।

4. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, हथकरघा उद्योग, माँग संख्या–23, उप शीर्ष–0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड– 23–2851.00.103.0103 राज्य योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0103.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से विकलित होगा। जिसके लिए आय–व्ययक 2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. राशि की निकासी वित विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक–17.04.1998 के कंडिका 2 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो समय–समय पर इसकी समीक्षा, अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण करेंगे।

7. स्वीकृत राशि 44.82 लाख (चौवालीस लाख बेरासी हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न सूची– **अनुसूची– I** के अनुसार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कैमूर मधुबनी, नालन्दा, नवादा, पटना, सीवान, बांका एवं रोहतास होंगे जो राशि की निकासी सार विपत्र BTC-26 पर जिला कोषागार से प्राप्त आवंटन के आधार पर करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्य सम्पादन एवं राशि के व्यय के पश्चात् सार विपत्र BTC-26 पर निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर BTC-27A पर ससमय महालेखाकर, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम को उपलब्ध

करायेंगे। "बिहार कोषागार संहिता के नियम 194(i) के अनुसार BTC-26 यानि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (AC Bill) से आहरित राशि हेतु विस्तृत विपत्र (DC Bill) की प्रस्तुति में कोषागार से संक्षिप्त विपत्र के निकासी करने की तिथि से 6 महीने से अधिक का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद तब तक कोई भी संक्षिप्त विपत्र नहीं भुनाया जा सकेगा, जब तक इन नियमों के अनुरूप विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता"।

8. स्वीकृत राशि की एक मुश्त निकासी सभी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या ह0क0(13) योजना (68" लूम) –16/2018 पर दिनांक–24.01.2019 को प्राप्त है।

10. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0(13) योजना (68" लूम)–16/2018 के पृष्ठ–33 पर दिनांक–04.02.19 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

11. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनु0–अनुसूची–1

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0–(13)योजना(68" लूम)–16/2018/ .... पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि–व्यय विवरणी सहित जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/कैमूर/रोहतास/बाँका/भागलपुर/गया/मधुबनी/नालन्दा/ नवादा/पटना/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0–(13)योजना(68" लूम)–16/2018/ .... पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र औरंगाबाद/कैमूर/रोहतास/बाँका/भागलपुर/गया/ मधुबनी/नालन्दा/नवादा/पटना/सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0–(13)योजना(68" लूम)–16/2018/ .... पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि–व्यय विवरणी के साथ वित विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, ह0 रे0, बिहार, पटना/ आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/ बजट शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय/योजना शाखा, उद्योग विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0–(13)योजना(68" लूम)–16/2018/ 830 पटना, दिनांक– 06-02-19

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– I

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के हस्तकरघा बुनकरों को 68 इंच फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित)/ इससे अधिक चौड़ाई के फ्रेम लूम (टेकअप मोशन सहित) में परिवर्तित करने के निमित उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 44.82 लाख (चौवालीस लाख बेरासी हजार) रूपये मात्र की योजना से संबंधित जिला बार लक्ष्य एवं राशि आवंटन की सूची।

क्रं0 सं0	जिला का नाम	लक्ष्य	आवंटित राशि (लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरण एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	औरंगाबाद	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद
2	कैमूर	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर
3	रोहतास	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास
4	बाँका	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बाँका
5	भागलपुर	16	4.32	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर
6	गया	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया
7	मधुबनी	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी
8	नालन्दा	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा
9	नवादा	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा
10	पटना	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना
11.	सिवान	15	4.05	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान
	कुल –	**166**	**44.82**	

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।